

PERMANENT NOC

Directorate of College Education, Jaipur

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (291) निकाशि/अनु/09/1475

दिनांक:- 27/5/13

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन अनुसार अकादमी सत्र 2013-14, से निम्न महाविद्यालय को स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

पत्रा.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटित विषय/ संकाय
291	शाह सतनाम जी गर्ल्स कालेज, श्री गुरुसर मोडिया, सूरतगढ़, श्री गंगानगर	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	पूर्व संचालित विषय/ संकाय

- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटित विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपांतरण-अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
- महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
- निदेशालय द्वारा संस्था का प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निरीक्षण करवाया जायेगा।
- संस्था द्वारा यूजीसी योग्यतापरीक्षण, एमएचए, तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
- संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
- संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी।
- मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- संस्था द्वारा एन0एस0एस/एन0सी0सी/रोयिंग एवं रेजिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन0एस0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेगे।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

निदेशक,

कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, श्री गंगानगर।
- कुल सचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।

FIRST NOC

Directorate of College Education, Jaipur

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 16 जून 2009

दिनांक: 16 जून 2009

आदेश

सत्र 2009-10 में महीना महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थादी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अन्तर्गत निम्नी क्षेत्र में महीना महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों पर निम्नलिखित शर्तों को उनके नाम के सम्मिलित अस्थायी/विधायक हेतु एकाधिकार के लिए अस्थादी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है-

क्र. सं.	राजस्थान सरकार का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विभाग / संस्थान
1	सविन साह जी 38 एच अनापत्ति-एच फाउण्डेशन, सिरसा हरियाणा	एच अनापत्ति जी सिरसा फाउण्डेशन, सिरसा हरियाणा	महात्मा जवाहर विद्यापीठ, जयपुर	राजस्थान शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास एवं इतिहास, पत्राचार, समाज, पत्रकारिता, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, सांख्यिकी शिक्षा, समाजशास्त्र, शिक्षकता शिक्षित शिक्षण

Your paragraph text

1. प्रार्थना के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को स्वीकृत मापदण्डों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बन्धित-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. सम्बन्धित प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सांख्यिक सुविधाओं एवं एच जी सी 'योग्यतापरी' स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विश्वविद्यालय की होगी।
3. संस्थान / विधायक शीटों का आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा विभागाध्यक्ष को प्रेषित एवं कालेज शिक्षा विभाग को सुचित भिन्न जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा उपर्युक्त संस्था को भी प्रार्थना के प्रवेश दिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संस्थागत छात्रों में निर्धारित प्रवेशार्थ सुविधा प्रदान करनी होगी।
5. संस्था को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भूमि एवं भवन तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करनी होंगी तथा अन्य आवश्यक संस्था के कार्य में पूर्ण करने होंगे।
6. महाविद्यालय के लिए निर्धारित अनुमोदन में अन्य किसी शिक्षण संस्था का सम्बन्ध नहीं किया जा सकेगा।

107

Dr. ABIN BHAGAT
Chairman
Shah Sarmaraj Research & Development Foundation
JIRSA (Jaipur)